1. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०-**01,** कानपुर नगर
जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-**2919/2026**
CNR No.UPKN01-008170-2026

नितिन दिवाकर, पुत्र-ओम प्रकाश दिवाकर, उम्र-करीब 30 वर्ष, निवासी-धोबियाना छोटी जूही, कानपुर नगर। ...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा- डी०जी०सी० क्रिमिनल, कानपुर नगर। .....वादी/अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या-125/2026
धारा-115(2),131, 352, 308(4),109(1),3(5) BNS
थाना-किदवई नगर, कानपुर नगर।

एवं

2. जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-**2920/2026**
CNR No.UPKN01-008172-2026

सद्दाम, पुत्र-स्व. अतहर, उम्र-करीब 20 वर्ष, निवासी-83/17 B.M. मार्केट, थाना जूही, कानपुर नगर। ...प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा- डी०जी०सी० क्रिमिनल, कानपुर नगर। .....वादी/अभियोजन पक्ष।

मुकदमा अपराध संख्या-125/2026
धारा-115(2),131, 352, 308(4),109(1),3(5) BNS
थाना-किदवई नगर, कानपुर नगर।

31.07.2026

1. उपरोक्त दोनों जमानत आवेदन अभियुक्तगण नितिन दिवाकर व सद्दाम की ओर से अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या-125/2026 धारा-115(2), 131, 352, 308(4), 109(1), 3(5) BNS, थाना किदवई नगर कानपुर नगर अन्तर्गत दिया गया है। दोनों जमानत आवेदन एक ही घटना व एक ही मुकदमें से संबंधित है। अतः सुविधा की दृष्टि से दोनों जमानत आवेदन का निस्तारण एकसाथ किया जा रहा है।

2. संक्षेप अभियोजन कथानक अनुसार वादी मो. सगीर द्वारा थानाध्यक्ष किदवई नगर के समक्ष इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि घटना दिनांक 22.05.2026 को लगभग 12 बजे रात्रि में हनुमान मन्दिर जूही डिपो के पास चाय की दुकान पर प्रार्थी का पुत्र मो शाहजेब चाय पी रहा था। तभी दो मोटरसाईकिल से 4 व्यक्ति जिनको प्रार्थी का पुत्र पहले से जानता है, ने ईट व पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया जिससे प्रार्थी के पुत्र को सर में काफी गम्भीर चोटें आयी है। जिसकी गम्भीर स्थिति को देखते हुये हैलट हास्पिटल, कानपुर नगर में भर्ती कराया गया। प्रार्थी के पुत्र ने बताया कि हमला करने वाले आशीष मिश्रा, नितिन कनौजिया उर्फ गोलू कनौजिया, सद्दाम व एक व्यक्ति अज्ञात है, जिसको प्रार्थी का पुत्र सामने आने पर पहचान सकता है। प्रार्थी के पुत्र ने बताया कि उक्त लोग पूर्व में भी कई बार उससे शराब पीने के लिये पैसे मांग चुके है और पैसे न देने पर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देते थे। प्रार्थी इलाज में व्यस्त होने के कारण आज प्रार्थना पत्र श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। प्रार्थी के पुत्र की गम्भीर स्थिति बनी हुयी है। अतः आपसे निवेदन है कि उसके बयान सक्षम अधिकारी समक्ष करा लिये जायें।

3. उक्त तहरीर के आधार पर थाना किदवई नगर, कानपुर नगर पर मुकदमा अपराध संख्या-125/2026 धारा 115(2),131, 352, 308(4) BNS अभियुक्तगण आशीष मिश्रा, नितिन कनौजिया उर्फ गोलू कनौजिया, सद्दाम व एक अज्ञात व्यक्ति के विरूद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना प्रकरण में धारा 109(1),3(5) BNS की बढ़ोत्तरी की गयी है।

4. जमानत आवेदन में अभियुक्तगण ने अभिकथित किया है कि उन्हें जमानत आवेदन के साथ संलग्न शपथपत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर जमानत प्रदान की जाए।

5. जमानत आवेदन के साथ अभियुक्त नितिन की ओर से उसके भाई महेन्द्र कुमार द्वारा तथा अभियुक्त सद्दाम की ओर से उसकी माँ गुड्डन द्वारा पृथक-पृथक शपथपत्र दिया गया है, जिसमें यह अभिकथित किया है कि अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। अभियुक्त को मात्र रंजिशन फंसाया गया है, उसके पास से कोई बरामदगी नहीं हुई है। अभियुक्त दो माह से जेल में है। यह अभियुक्त का प्रथम जमानत आवेदन है। अभियुक्त जमानत की शर्तों का पालन करेगा। अतः जमानत प्रदान की जाए।

6. मैंने जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए०डी०जी०सी० (किमिनल) की बहस को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया गया और तर्क दिया गया कि अभियुक्तगण ने अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर सामान आशय के अग्रसरण में वादी के पुत्र पर ईंट व पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे वादी के पुत्र के सर में काफी गंभीर चोटें आयी है। अभियुक्तगण के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है, अतः जमानत निरस्त की जाए।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट में अभियुक्तगण नामजद है। केस डायरी में मेडिकल रिपोर्ट का अवलोकन अंकित है, जिसमें यह उल्लिखित है कि पीड़ित को 01 चोट Abraded contusion 6cmx5cm at Rt side parital region 3 cm above form Rt Ear bleed present आना अंकित है।

9. वादी मो. सगीर द्वारा केस डायरी में विवेचक के समक्ष यह बयान दिया गया है कि अभियुक्तगण ने ईंट व पत्थर से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके पुत्र को सर में काफी गंभीर चोटें आयी है, उसके सिर व कान से खून निकल रहा था, जिसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए काशीराम अस्पताल से हैलट अस्पताल में रिफर किया गया। मेरे लड़के के सिर की दाहिनी ओर की हड्डी टूट गयी है, जिसे डाक्टरों ने आपरेशन करके बाहर निकाल दिया है। आपरेशन के बाद से मेरा लड़का पूरी तरह होश में नहीं आ पा रहा है। उसकी हालत गंभीर है। डाक्टरों ने बताया है कि चोट गंभीर है, इस चोट से मेरे लड़के की मृत्यु भी हो सकती है।

10. केस डायरी में चश्मदीद गवाह आदित्य ने बयान दिया है कि अभियुक्तगण नशे की हालत में बाइक में सवार होकर आये और एक राय होकर वहां पर मौजूद शाहजेब पर पत्थर से हमला करते हुए वहां से भाग गये। पत्थर शाहजेब के सिर पर लगा, जिसके बाद वही पर वह चक्कर खाकर गिर गया एवं उसके सिर एवं कान से खून बहने लगा।

डाक्टर विजय कुमार ने केस डायरी में बयान अंकित कराया कि मजरूब के सिर पर गंभीर चोट लगी थी, जिसके दाहिने कान से खून निकल रहा था तथा सिर के दाहिनी ओर गहरा घाव था एवं सिर की हड्डी टूटी दिख रही थी। मजरूब के सिर की चोट बहुत गंभीर थी, जिससे वह बार-बार बेहोश हो जा रहा था। सिर की चोट की वजह से मजरूब की मृत्यु हो सकती थी।

11. सीडी नंबर 6 पर विवेचक द्वारा घटना के संबंध में सी.सी.टी.वी. फुटेज पेन ड्राइव में लेने का उल्लेख किया गया है। केस डायरी के पर्चा नंबर 16 पर डाक्टर मनीष ने बयान दिया कि मजरूब शाहजेब का इलाज दिनांक 23.05.2026 से 06.06.2026 तक एल.एल.आर. में मेरी देखरेख में हुआ था। मजरूब को कांशीराम अस्पताल से मेरे यहां न्यूरो विभाग लाया गया था, तब मजरूब की हालत बहुत ही गंभीर थी, जिसके सिर में दाहिने तरफ पीछे साइड काफी गहरी चोट थी।

12. पत्रावली पर मजरूब की सप्लीमेंन्ट्री रिपोर्ट उपलब्ध है। विवेचक ने सी.डी. के पर्चा नंबर 17 पर मजरूब की सप्लीमेंन्ट्री रिपोर्ट के अवलोकन का उल्लेख किया गया है, जिसमें यह उल्लिखित है कि डा. सुबोध सिंह के द्वारा Depressed comminuted fracture are seen in rt temporo parietal region इंजरी 01 के लिए अंकित है जो कि गंभीर प्रकृति की चोट है।

13. अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। पत्रावली पर उपलब्ध मेडिकल आख्या, सप्लीमेंट्री रिपोर्ट एवं डॉक्टरों के बयानों से यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है कि पीड़ित मो. शाहजेब के सिर पर दाहिनी ओर गंभीर एवं जानलेवा चोट आयी है, जिसके

फोटोग्राफ केस डायरी के साथ संलग्न किये गये हैं। डॉक्टरों के बयान के अनुसार सिर की हड्डी टूट गई थी तथा ऑपरेशन के दौरान हड्डी का हिस्सा निकालना पड़ा। भारतीय न्याय संहिता की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत यह अपराध गंभीर और गैर-जमानती प्रकृति का है। विवेचना उपरान्त पर्याप्त साक्ष्य के आधार अभियुक्तगण व अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। सहअभियुक्त अंकित कुमार की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। पीड़ित को आई गंभीर व जानलेवा चोटों, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान को दृष्टिगत रखते हुए, इस प्रक्रम पर अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण नितिन दिवाकर व सद्दाम की ओर से अंतर्गत मुकदमा अपराध संख्या-125/2026 धारा-115(2), 131, 352, 308(4), 109(1), 3(5) BNS, थाना किदवई नगर कानपुर नगर में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र खारिज किया जाता है। आदेश की एक प्रति जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-2920/2026 सद्दाम बनाम राज्य की पत्रावली में रखी जाए।

(सपना त्रिपाठी-I)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0 1,
कानपुर नगर।
आई.डी. यू.पी.6103

दिनांकः**31.07.2026**

Digitally signed by Sapna Tripathi
Date: 2026.07.31 16:45:16 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court